(c) whether these cards, if issued, would replace the Voters' Identity Cards?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) There is a proposal to issue multipurpose National Identity Cards to all the citizens of the country of and above the age of 14 years. These Cards are proposed to be used for the purpose of issuing passports, driving licences, ration cards, health care, admission in educational institutions, employment in public/private sectors, life and general insurance as also for maintenance of land records and urban property holdings etc. However, the proposal is at a conceptual stage.

मंत्रालयों के लिये प्रवेश हेतु विशेष पास

194. **प्रो0 रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या मंत्रालय द्वारा इसके विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष पास जारी करने के लिए कोई मानदंड/प्रक्रिया हैं, यदि हां, तो वह प्रक्रिया क्या हैं और क्या इसका अनुपालन हो रहा हैं,

(ख) क्या यह सच हैं कि इन पत्रों को जारी करने में भारी अनियमितता प्रकाश में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं,

(ग) यदि हां, तो इसमें उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण क्या हैं,

(घ) क्या सचिवालय सुरक्षा बल के सैंकड़ो कर्मचारियों ने उच्च स्तर के कुछ अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ गृह मंत्री से न्याय की गुहार की हैं, और

(ड़) यदि हां, तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अधीन आने वाले सरकारी भवनों (विशेष सुरक्षा कबर से अंतर्गत आने वाले कुछेक भवनों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए फोटो पास निम्नलिखित मानदण्डों और प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाते हैं **:-**

(i) राजपत्रित अधिकारियों को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर, जिसे संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रयोजित किया गया हो ओपन फोटो पास जारी किए जाते हैं ।

(ii) अराजपत्रित कर्मचारियों को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर जिसे विधिवत रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजति किया गया हो विशिष्ट भवनों के लिए प्रतिबंधित पास जारी किए जाते हैं । तथापि, कुछे मामलों में अराजपत्रित अधिकारियों को प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट सिफारिश पर उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर ओपन पास जारी किए जाते हैं ।

(iii) राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकारी उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को, निर्धारित प्रपत्र पर दिए गए आवेदन पत्र में दिए औचित्य के आधार पर जिसे संबंधित राज्य सरकारों या प्रशासिन मंत्रालयों/विभागों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रायोजित किया गया है, ओपन या प्रतिबंधित पास जारी किये जाते हैं ।

(iv) सर्विस एजेंसियों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, महानगर टेलीफोन निगम इत्यादि, द्वारा रखे गए कुछेक दिहाडी कर्मचारियों को भी, उनके कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर संबंधित एजेंसियों के प्रायोजन पर, पास जारी किए जाते हैं ।

(v) कुछेक, गैर-सरकारी व्यक्तियों को चुनिन्दा आधार पर ओपन या प्रतिबंधित पास जारी किए जाते हैं जो उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं और प्रत्येक मामले के गुण-दोश पर निभ्रर करता हैं ।

(vi) सरकारी भवनों में आगुन्तकों का प्रवेश, सचिवालय सुरक्षा संगठन के स्वागत कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले आगन्तुक पासों के जरिए विनियमित किया जाता हैं ।

उपरिल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा हैं ।

(ख) और (ग) इन पासों को जारी करने में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आई हैं ।

(घ) और (ड़) सचिवालय सुरक्षा बल के कर्मचारियों के एक वर्ग ने संगठन में अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किए गए कुछेक अनुदेशों को अनुकूल दृष्टि से नही लिया और कुछ अधिकारियों खिलाफ शिकायत की हैं। मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे हफ्ते में एक बार कर्मचारियों की शिकायतें सुने और उनकी न्यायोचित शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। कर्मचारी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल सकते हैं।

Central Team's Visit to Jahanabad

195. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI S.M. KRISHNA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the fact-finding Central Team headed by Ministry's Special Secretary, visited Jahanabad in Bihar to take stock of the situation in the State particularly after massacre of 23 innocent people by Ranveer Sena, without any provocation;

(b) whether it has submitted its report;

(c) if so, its findings/recommendations thereof;

(d) the financial and administrative support granted to the victims' kith and kin and also for their rehabilitation; and

(c) the preventive measures taken or proposed to be taken to control the situation in Bihar and arrest the culprits, to ensure that such outfits do not operate in Bihar and other parts of the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (e) A Central Team had visited Bihar from February 1 to 3, 1999 to make an on-the-spot assessment of the situation following the massacre of 2 persons at Shankarbigha Tola, PS Mehandia, District Jehanabad, The Team observed that the situation was still lense and the possibility of such carnages could not be ruled out unless a multi-faceted approach was adopted to tackle the ongoing violence.

According to the information furnished to the Central Team, the following relief has been provided by the State Government:

(i) One lakh rupees to the next of kin of each deceased.

(ii) Ten thousand rupees under the Parivar Labh Yojana to the next of kin of each deceased above 18 years of age.

(iii) Social Security Pension to eligible persons.

(iv) Indira Awaas to each family.

(v) Ten thousand rupees to each injured person.

(vi) Free ration (100 kg. of rice, 10kg. of pulses, mustard oil/kerosene oil) to each of the affected familes.

(vii) Blankets/Dhotis/Saris to each member of the affected families.

A case under sections 147/148/302/ 307/324 IPC, 27 Arms Act and 3/4 Harijan Atyachar Nivaran Adhiniyam has been registered in connection with the said massacre. 32 persons have been arrested so far.

After assessing, inter alia, the law and order situation in the State. Bihar has been placed under President's rule by invoking the provisions of article 356 of the Constitution of India, with effect from 12.2.1999,

Setting up of SHRCs

196. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether, under the Human Rights Act, States can set up State Human Rights Commissions;

(b) if so, how many States have SHRCs;

(c) whether there is any proposal to amend the law to make setting up of SHRC mandatory; and